

सं0सं0-6/एन0-01-60/2015-.....

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

श्रीमती संध्या सिंह, परिचारिका श्रेणी 'ए', पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को नव सृजित ए0एन0एम0 स्कूल, लखीसराय में प्राचार्या के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

- 2 - श्रीमती संध्या सिंह को उनके प्रतिनियुक्ति स्थान से निर्गत किये गये अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर उनके मूल पदस्थापित स्थान से वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।
- 3 - यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- 4 - प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

निदेशक प्रमुख
(परिवार कल्याण, मातृशिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।


ज्ञापांक : 6/एन-01-60/2015 - 82(6) पटना दिनांक 07/02/2018

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि कर्मी को एक सप्ताह के अन्दर विरमित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-श्रीमती संध्या सिंह, परिचारिका श्रेणी 'ए', पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि वर्तमान संस्थान से विरमित होते हुए एक सप्ताह के अन्दर प्रतिनियुक्त संस्थान में योगदान देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


07/02/18

निदेशक प्रमुख
(परिवार कल्याण, मातृशिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

